गााजियाबाद क्षेत्र हेतु पानी की बोतल की प्रतिपूर्ति हेतु टेन्डर फार्म

उ0प्र0रा0स0परि0नि0
क्रम सं0....................

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित निविदा दाता का पासपोर्ट साइज का फोटो

मूल्य 500.00 रूपये
रसीद संख्या ....

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गााजियाबाद।

निविदा प्रपत्र

निविदा जारी करने का दिनांक.................................... निविदा निर्गत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर........................

1. निविदा दाता/फर्म का नाम : ....
2. पंजीकरण संख्या :–..
3. प्रोपराईटर का नाम :– ....
4. वार्षिक टर्न ओवर(पिछले तीन वर्ष):–..
5. स्थाई पता : ....
6. बैंक ड्राफ्ट का पूर्ण विवरण : ....
7. संचालन की अवधि : ....
8. प्रस्तावित दर प्रति बोतल :–(शब्दों में) ....

   (अंकों में) ....
9. सलंग्नक प्रपत्रों की सूची ....
10. बैंक ड्रापट का पूर्ण विवरण : ....
11. शपथ पत्र (भारत में किसी भी संस्था में बकायादारी/ब्लैक लिस्ट न होने के संबंधं)

उक्त प्रस्तुत सूचनायें सही है एवं यदि उसमें कोई सूचना असत्य साबित होती है तो इस हेतु में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूँगा।

फर्म/टेण्डर दाता के हस्ताक्षर

नोटः–शेष शर्ते निविदा विज्ञप्ति में अकिंत है।

मुख्य शर्तें

नीलामी की मुख्य शर्तें निम्नवत हैः–

1. जिन स्टाल संचालकों के नाम परिवहन निगम की **काली सूची** में हैं, वे निविदा डालने के अर्ह नहीं होंगे और उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. प्रत्येक निविदा के साथ विज्ञप्ति में प्रस्तावित राशि के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट धरोहर के रूप में निविदा के साथ, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम गाजियाबाद(RM UPSRTC GZB)के नाम बना हो, देना होगा। निविदा प्रपत्र में बैक ड्राफ्ट का विवरण देते हुए उसको संलग्न करते हुए टेण्डर सील बन्द लिफाफे में प्रेषित किये जायेंगे।
3. विज्ञप्ति में प्रकाशित शर्तो के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।
4. निविदादाता को अपना नाम, पिता का नाम? निवास स्थान व चाल–चलन का सत्यापन सक्षम पुलिस अधिकारी से कराकर तथा अपनी फोटो (पासपोर्ट साईज की) किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
5. जिस स्टाल एवं स्थान के लिए निविदा दिया जा रहा है, उस स्टाल का नाम व स्थान का नाम लिफाफे के ऊपर अकिंत करना होगा।
6. अपूर्ण निविदा प्रपत्र विचार योग्य नहीं होगां
7. परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा, यदि किन्ही कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा स्टाल के संचालन का स्थान परिवर्तित किया जाता है, तो परिवर्तित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा।
8. निविदा से प्राप्त सर्वोच्च दर के प्रस्ताव को तीन गुना टेन्डर मनी/टोकन मनी को समायोजित करते हुए प्रतिभूति के रूप में नीलामी की तिथि को मनी/टोकन मनी को समायोजित करते हुए प्रतिभूति के रूप में नीलामी की तिथि को ही निगम कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति राशि न जमा करने पर टेण्डर मनी/टोकन मनी जब्त कर जी जायेगी।
9. स्टाल्स की नीलामी का निस्तारण निविदा में प्राप्त कर न्यूनतम दरों के अनुसार दिया जायेगा। प्राप्त निविदा सक्षम अधिकारी द्वारा निविदादाताओं/बोलीदाताओं के समक्ष खोले जायेगे।